न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी R.A.S.
राजस्व आवेदन सं. 39/2022

प्रार्थी

नगाराम पुत्र उकाराम
जाति घांची निवासी जसोल
तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण

1. जगदीश
2. खेतरचन्द
3. मांगीलाल

पिता उकाराम जाति घांची निवासी जसोल तहसील पचपदरा

4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, पचपदरा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A 1955

— x x x —

उपस्थिति 1. श्री जुंजाराम पटेल अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री अन्नाराम चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थीगण

निर्णय दि० 04.04.2022

संक्षेप में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा नम्बर 93 रकबा 15-19 बीघा किस्म बा. दो. आया हुआ है, जो प्रार्थी का जरखरीद खातेदारी का है, ग्राम नेमावास की उक्त भूमि पर प्रार्थी की खातेदारी ... हुई है। जिसमें प्रार्थी बरसात के ... करता है। भूमि ... बाद खरीद प्रार्थी का निरन्तर आज दिन तक कब्जा-काश्त

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 15:59:09 IST
Reason: SelfAttested

चला आ रहा है, प्रार्थी व विप्रार्थी सं. 1 ता 3 सगे भाई है। प्रार्थी व विप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पिता उकाराम जी जीवित है, प्रार्थी देहाती व्यक्ति है, तथा अक्सर बीमार रहता है, प्रार्थी को आंखों से कम दिखता है।

प्रार्थी व उसके भाईयो विप्रार्थी सं. 1 ता 3 के बीच कृषि भूमि को लेकर सन 2010 में विवाद हुआ, जिस पर पारिवारिक विवाद को समाप्त करने हेतु उकाराम जी ने उनके नाम दर्ज खातेदारी भूमि का पारिवारिक प्रबन्धनामा या वसीयतनामा लिखवाना तय हुआ, विप्रार्थी सं. 01 ता 03 होशियार व चालाक व्यक्ति है, चारों भाई दस्तावेज वसीयतनामा लिखवाने हेतु अर्जी निवेशन से सम्पर्क किया, जिसने उकाराम जी वसीयतनामा प्रार्थी व विप्रार्थी सं. 1 ता 3 व सोनी देवी के हक में लिखवाकर उक्त दस्तावेज पर प्रार्थी व विप्रार्थी सं. 1 ता 3 के हस्ताक्षर अंगुष्ठ निशानी करवा दी, [illegible] ने अपनी खातेदारी खेत खसरा नं. 93 रकबा 15-19 बीघा भूमि में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 15:59:09 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

(3.)

कोई हक हिस्सा विप्रार्थी सं. 1 ता 3 को बख्शीस
नहीं किया, न ही प्रार्थी ने बख्शीसनामे का
दस्तावेज पर प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के हक
में निष्पादित ही किया. भूमि पर प्रार्थी का कब्जा-
काश्त है। अभी जनवरी 2022 में विप्रार्थी संख्या
1 ता 3 ने वादग्रस्त भूमि को बेचान करने हेतु
ग्राहकों को दिखाया तो प्रार्थी को ज्ञान हुआ,
जिस पर प्रार्थी ने विप्रार्थी सं. 1 ता 3 से सम्पर्क
कर आगाह किया गया कि विवादित भूमि
प्रार्थी की खातेदारी की है, उस पर प्रार्थी की
रखवाली ढाणी बनी हुई है, तथा भूमि पर प्रार्थी
का कब्जा-काश्त है, जिस पर विप्रार्थी सं. 1 ता 3
ने प्रार्थी को कहा कि उनके खातेदारी में प्रार्थी के
कभी भी करवा दी थी, जिस पर प्रार्थी ने
विवादित भूमि को [illegible]
दिनांक 02-02-2022 को [illegible] करने पर
1 ता 3 ने विवादित भूमि को [illegible] विप्रार्थी सं.
किसे अपना 56257 6300 हिस्सा राजस्व रेकर्ड
में दर्ज करवा किया, प्रार्थी ने कभी भी विप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 15:59:09 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

सं. 1 ता 3 के हक में कोई बख्शीश नहीं की। जिससे बख्शीसनामा Existant में नहीं होकर Nonest one है, जो काबिल Ignore है। जिससे तथाकथित बख्शीसनामा प्रार्थी के हकों के विरुद्ध अवैध होने से निष्प्रभावी है।

अन्त में निवेदन किया गया कि विवादित आराजी का विप्रार्थीगण हस्तान्तरण नहीं करे मौके व राजस्व रेकर्ड की यथावत स्थिति दावे के निस्तारण तक कायम रखे।

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज कर अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये।

विप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश कर प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर निवेदन किया गया कि यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है, क्योंकि रेकर्डेड खातेदार को अपनी भूमि का उपयोग, उपभोग करने का अधिकार है। पंजीकृत बख्शीसनामा को [illegible] न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, वादपत्र व प्रार्थना-पत्र ही विधि द्वारा वर्जित है। जिसे खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 15:59:09 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(SDO) बालोतरा

प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार कर बख्शीशनामा नहीं करवाने के तथ्य झूठे लिखे है, बल्कि उक्त भूमि में विप्रार्थी सं. 1 ता 3 का विधिक हिस्सा था, क्योंकि उक्त सम्पत्ति खरीद अवश्य प्रार्थी के नाम की गई थी. प्रार्थी के नाम रेकर्ड में उकाराम ने आउट ऑफ लव एण्ड अफेक्शन से लिखवाया था, प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि उकाराम जी ने ही अदा की थी। बख्शीशनामा पंजीयन के बाद अवशेष हिस्सा प्रार्थी ने SBI जसोल बैंक में रहन भी रखा था। जो प्रार्थी की संस्वीकृति है प्रार्थी अपनी संस्वीकृति के विरुद्ध अन्य कोई कथन करने से विबन्धित है।

अन्त में निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जावे।

विप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत जवाब का प्रार्थी की ओर से जवाब [illegible] पेश नहीं किया गया जिस पर विप्रार्थीगण के [illegible] को कोई आपत्ति नहीं होने से रेकर्ड पर लिया जाता है।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.) [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 15:59:09 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई, प्रार्थी की ओर से निम्नांकित न्याय दृष्टान्त की नजीरें प्रस्तुत किये गये:-

1. RLR 1988 (2) पीर गुलाम नसीर v/s पीर गुलाम जीलानी (पेज 871 - 878)
2. RLR 1988 (1) m/s रोयल होटल v/s ग्राम पंचायत (179)
3. RNJ 2013 (1) (170) राम किशोर कुमावत v/s मोहनलाल कुमावत
4. 2015 (3) WLN 284 (Raj) मोटूराम v/s बोर्ड ऑफ रेवन्यू
5. 2016 (1) RRT 264 गोपी v/s मनफूल
6. 2017 (2) RRT 1394 सुन्दर लाल v/s जगदीश चन्द
7. 2010 (2) RRT 1141 ओंकार सिंह v/s सुन्दर सिंह
8. RRD 1995 लालचन्द v/s LRs. बुधिया (127)
9. 2015 (1) RRT 474 मोटूराम v/s बोर्ड ऑफ रेवन्यू

विपक्षीगण की ओर से निम्नांकित न्याय दृष्टान्त पेश किये गये:-

1. 2017 (1) RRT 522
2. 2018 (2) RRT 1202
3. 1979 RRD 01
4. 2016 (1) RRT 113
5. Apex RJ 257 SC
6. RRT 2003 (1) 709

प्रार्थी के वकील ने बहस के दौरान निवेदन किया

सहायक कलक्टर (S.D.O.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 15:59:09 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

सम्पूर्ण विवादित आराजी पर इसका ही कब्जा-
कास्त है, ख. नं. 93 स्वअर्जित सम्पत्ति है,
उसके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई इकरारनामा
व बख्शीशनामा नहीं किया गया है। विपक्षीगण
अवैध दस्तावेज के आधार विवादित भूमि
को बेचान कर देंगे, प्रार्थी को उक्त अवैध
दस्तावेज को शून्य घोषित कराना है, जिसे
राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत सबूतों के आधार
पर किया जा सकता है।

विपक्षीगण की ओर बहस के दौरान वकील
ने निवेदन किया गया कि राजस्व न्यायालय
में पंजीकृत दस्तावेज के बारे में सुनवाई
नहीं की जा सकती है. केवल सिविल न्यायालय
का क्षेत्राधिकार है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र
विधि से वर्जित व सेटल लॉ के विरुद्ध
होने से खारिज किया जावे।
हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया।
प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र व प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 15:59:09 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

(४.)

ध्यान दृष्टांत नजीरें प्रार्थी के पक्ष में दृष्टांत प्रकरण में स्पष्ट रूप से प्रभावी होते हैं, प्रार्थी के द्वारा बख्शीशनामा को शून्य घोषित कराने का वाद-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे राजस्व न्यायालय के द्वारा ही साक्ष्य सबूतों के आधार मेरिट पर निस्तारण किया जा सकता है। मूल वाद विचाराधीन रहते हुए यदि अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त किया जाता है और विपक्षीगण सं. 1 ता 3 विवादित आराजी का बेचान कर देते हैं तो प्रार्थी को ही अपूरणीय क्षति होगी, सुविधा का सन्तुलन भी भी प्रार्थी के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त सम्पत्ति से महरूम नहीं किया जा सकता है।

प्रार्थी के पक्ष में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दि० 07-02-2022 को मूल वाद के निस्तारण तक कनफर्म किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 15:59:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) बामनवास

आदेश आज दि० 04-04-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बामनवास